

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक : रीडर/खाला/24/1378

दिनांक :- 20.6.2025

आदेश

(अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 जनरल (कॉलोनी कंडीशन्स 8(1)RCA 1954)

प्रार्थी बुधराम पुत्र श्री हनुमान राम निवासी चक 7 एएमपी रोही तहसील संगरिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 7 एएमपी प.न. 162/148 किला नं. 5,6,15,16,25 एवं प.न. 162/149 के किला नं. 5,6,15,16,25 गै.मु. खाला के स्थान पर खातेदारी अंकन किये जाने हेतु निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पर तहसीलदार संगरिया ने अपने पत्रांक ए.2/डी/खा-रा/वा-नह/भूअ./ 2024/1431 दिनांक 30.04.2025 द्वारा चक 6 एएमपी के जमाबन्दी सम्वत (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या नं. 62/2 (संयुक्त खाता) में वर्णित प.न. 162/148 मु.न. 35 किला नं. 5/2/0.025 गै.मु.खाला 6/2/0.025 गै.मु.खाला 15/2/0.025 गै.मु. खाला 16/2/0.025 गै.मु. खाला 25/2/0.025 गै.मु. खाला प.न. 162/149 मु.न. 52 का किला नं. 5/2/0.025 गै.मु. खाला 6/2/0.025 गै.मु.खाला, 15/2/0.025 गै.मु.खाला 16/2/0.025 गै.मु.खाला किला नं. 25/2/0.025 गै.मु.खाला बन्द होना एवं उक्त खाले पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ ने अपने पत्रांक 699 दिनांक 06.06.2025 द्वारा चक 7 एएमपी प.न. 162/148 किला नम्बर 5,6,15,16,25 एवं प.न. 162/149 किला नं. 5,6,15,16,25 में खाला स्वीकृत नहीं है व न ही मौके पर चल रहा है इसलिए राजस्व रिकार्ड में खाला दूरुस्त किया जाना उचित बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

अतः उक्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार संगरिया उक्त गै.मु. प्रश्नगत जलमार्ग का संबंधित काश्तकार के नाम नियमानुसार बकाया रकम आदि कोई शेष हो तो जमा कराने के बाद में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दिनांक :- 20.6.2025

क्रमांक :- सम/1279

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार भू-अभिलेख संगरिया को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कर तत्काल रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़।
3. श्री.....।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया